

चूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 59 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

चूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजिका रो 194/38-3-2014-07(थूयो) / 04, दिनांक: 28.01.2014 द्वारा 59 दरे आसिक आवार पर नियोजित की गयी है, उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगा।

उक्त के अनुक्रम में नियोजित 59 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपनोक्ता मूल्य सूचकांक आवार वर्ष (2001=100) यात् युलार्फ, 2012 से विस्तर, 2012 के औसत 216 अंकों के ऊपर जानकारी, 2015 से जून, 2015 के औसत अंक 206 (दो सी छप्पन) पर दिनांक 01.10.2015 से दिनांक 31.03.2016 तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता नियमितिकर दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा—
इस्तो— लापये 5730.00 प्रतिशाह मजदूरी पाने वाले अकूशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपनोक्ता मूल्य सूचकांक 206 पर दिनांक 01.10.2015 से दिनांक 31.03.2016 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता नियन प्रकार देय होगा—
(256-216)

$$X 5750 = ₹ 1084.81 \text{ प्रतिमाह}$$

218

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरों निम्नवत हैं—

क्र 0	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी (लपये में)	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (लपये में)		दिनांक 01.10.2015 से दिनांक 31.03.2016 तक	
			दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 30.09.2015 तक	दिनांक 01.10.2015 से दिनांक 31.03.2016 तक	कुल मजदूरी (लपये में)	दैनिक मजदूरी (लपये में)
1	2	3	5	5	6	7
1	अकूशल	5750.00	984.95	1064.81	6814.81	202.11
2	अन्दर कूशल	6325.00	1083.45	1171.30	7496.30	208.32
3	कूशल	7085.00	1213.63	1312.04	8397.04	222.96

नियोजनों की नाम—

- रबर की विनियोजनशाला और रबर उत्पाद (दायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
- विद्यान उद्योग।
- पारित बेंडों (एटेड ड्रिंक्स) के विनियोजन।
- फलों के रसों की विनियोजनशाला।
- परतदार लकड़ी (लाइंबुड) के उद्योग।
- ट्रैटोल और जीजल आयैल पम्प।
- डेंगी और मिलक डेंगी।
- रिटेल सिलाईं कपड़ों की विनियोजनशाला।
- बींग तटबन्ध की विनियोजन और अनुकरण, सिंचाई परियोजनाओं कुड़ीं और तालाबों की खुदाई।
- उन सफल रजिस्ट्रीकेट कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लंघन पहले नहीं किया गया है।
- प्राइवेट अस्पताल (नर्सिंग होस्प) एवं प्राईवेट कलीगिकों और प्राइवेट डाक्टरी राजनग की दुकानों।
- टलाई घर।
- धातु उद्योग।
- टिन प्लेट शीशिंग और टिन ब्रिटिंग।
- ऐसे अधियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हैं।
- चार्च शोबनशाला और चार्च विनियोजन शाला।
- चार्च वर्तु विनियोजन उद्योग।
- होजरी शक्कर।
- निजी पुस्तकालय।
- काष्ठ संकर्म और कर्नीवर उद्योग।
- प्राइवेट कोरिंग काष्ठाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिसमें नसरी इनूल और निजी प्रायोगिक रासधारे भी नियमित हैं।
- हम्बाकू विनियोजन।
- घरेलाल।
- वाणिजी ('जोरेस्ट्री') लद्दा बनाने और काष्ठ कार्ब, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में से जाना भी है।
- बुकान।
- वाणिज्य अधिकार।
- धावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
- तेज मिल।
- सोक स्टेट गरिवहन।
- * यांत्रिक परिवहन कर्मशाला।
- आटोमोबाइल विनियोजन कर्मशाला।
- तदकानों के नियोजन या उन्हें बनाये रखने या नियोजन शाकिश्याओं।

ऋ विवर

29-09-2015

34. पत्थर लौजने या पत्थर कूटने।
35. धिकन के कार्य।
36. विद्युतलाई उद्घोग।
37. आइसकंपी / अइस्टकम विनिर्माणशाला।
38. बेकरी और विस्कूट विनिर्माणशाला।
39. बर्फ विनिर्माणशाला।
40. एलेक्ट्रिस शीनेट कारखाने और अन्य शीनेट उत्पाद विनिर्माणशाला।
41. लाईटी और शुलाई अधिकारी।
42. जिलसारी।
43. कोल्ड स्टोरेज।
44. पारोडी, विवेतिक्स मा रिफ़ैक्रीज।
45. निजी मुद्रणालय।
46. सिनेमा उद्घोग।
47. कपड़ा छपाई।
48. सिलाई उद्घोग।
49. एलोपेंटिक, आयुर्वेदिक, भूमानी फार्मसी।
50. गलव।
51. हथकरघा (सिलक की साढ़ी की हुनाई) जरी के कार्य।
52. कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या तिलिकेट या साबुन का चूर्चा या प्रकाशक विनिर्माण।
53. ऊपी काम्बल बनाने के अधिकारी।
54. खापड़सारी।
55. हथकरघा उद्घोग।
56. शपित चालित करघा उद्घोग।
57. छोटा (विनिएचर) इल्व एप्म कॉच उत्पादों के निर्माण।
58. कागज, गता और पेपर बोर्ड उद्घोग।
59. ईट भद्ठा उद्घोग।

(एकूण गुप्ता)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

पत्र सं०— २७२७-५५/प्रबर्तन०-(एम०डब्लू०) / १५
प्रतिलिपि—

दिनांक २४-९-२०१५

1. समस्त क्षेत्रीय अपर / उप श्रम आयुक्त, उठोर०, को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा माँगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
2. अनुसंधिव उठोर० शासन, श्रम अनुमान-३, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (वैज सेल) भारत सरकार नई दिल्ली को ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से।
4. अधिशास्त्री निदेशक उद्घोग बंधु लखनऊ।
5. अपर श्रमायुक्त, (आई०आर०), मुख्यालय।
6. अपर श्रमायुक्त, (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर / उप श्रम आयुक्त को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
7. श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
8. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामाज्य की जानकारी हेतु जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

(एकूण गुप्ता)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

150